तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी [illegible] मे तशरीफ रखते है। सज्य कार्यवश [illegible]। अभिभाषणगण अन्य कार्य मे [illegible] पत्रावली साबिक कन्डोलेन्स [illegible] ....को कार्यवा[illegible] पेश हो।
22-10-20	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित वकील वादी की ओर से 100/- रुपये का नोन-जुडिशियल स्टाम्प आदेश हेतु पेश किया वास्ते आदेश अंतिम डिक्री जारी आदेश डिक्री पत्रावली 28-10-20 को पेश हो।
28-10-20	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित बटवारा कमिश्नर ~~की~~ तहसीलदार इन्द्रगढ़ की [illegible] रिपोर्ट के ग्राम खेड़ियामान के खाता सं. नया 49 के ख.न. 774 रकबा 0.79 हैक्टेयर में से वादी बाबूलाल के हिस्से में 774/1 रकबा 0.40 हैक्टेयर व प्रतिवादी प्रभुलाल के हिस्से में 0.39 हैक्टेयर नक्शा पेश में बताये मुताबिक रहेगी। ग्राम खेड़िया दुर्जन के खाता सं. 40 नया में वाकिअ आराजी [illegible] से [illegible] [illegible]बुलाल पुत्र रघु कौम गुर्जर साकिन [illegible] ख.न. 131/1, [illegible], [illegible], 387/1, 550/[illegible], 613, 640/1 रकबा 0.02, 0.04, 0.5[illegible], 0.60, 0.58, 0.81, 1.02 किता-7 योग रकबा 3.58 हैक्टेयर कृषि भूमि हिस्से में रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:12:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एवं प्रतिवादी सं.1 प्रभुलाल पुत्र करणा कौम गुर्जर स्वामित्व हेतु के ख.नं. $\frac{131/2}{0.01}$ $\frac{138}{0.02}$ $\frac{139/2}{0.05}$ $\frac{143/2}{0.51}$ $\frac{387/2}{0.60}$ $\frac{550/2}{0.58}$ $\frac{612}{0.80}$ $\frac{640}{1.03}$ कुल कित्ता 7 योग रकबा 3.60 हेक्टेयर स्वामित्व रहेगी। उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की गई बटवारा रिपोर्ट मय अन्तिम डिक्री शामिल पत्रावली की गई पत्रावली में और कोई शेष कार्यवाही होने से पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:12:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, बून्दी

दावा संख्या 18/दावा/17 पीठासीन अधिकारी गरिमा लाटा **RAS**

दायरा दिनांक– 22.03.2017

उनवान

1. बाबूलाल आयु 55 वर्ष आ. 55 वर्ष बिरधीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम खेडियादुर्जन तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज.।

–वादी

बनाम

1. प्रभुलाल आयु 60 वर्ष आ. बरधा जाति गुर्जर निवासी ग्राम खेडियादुर्जन तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज.।
2. बैंक ऑफ बड़ौदा जर्ये शाखा प्रबंधक शाखा झाली जी का बराना तह. के. पाटन, जिला बून्दी (राज.)।
3. राज. सरकार जर्ये तहसीलदार सा. इन्द्रगढ जिला बून्दी।

–प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक–8-6-18

वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53,188 जर्ये अधिवक्ता पेश किया गया। वाद के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता सं. 41 पुरानी 41 वाके ग्राम खेडियादुर्जन तहसील इन्द्रगढ में वर्णित खसरा नं. 131 रकबा 0.03 हैक्ट., खसरा नं. 138 रकबा 0.02 हैक्ट., खसरा नं. 139 रकबा 0.09 है., खसरा नं. 143 रकबा 1.02 है., खसरा नं. 387 रकबा 1.20 है., खसरा नं. 550 रकबा 1.16 है., खसरा नं. 612 रकबा 0.80 है., खसरा नं. 613 रकबा 0.81 है., खसरा नं. 640 रकबा 2.05 है., कुल किता 9 कुल रकबा 7.18 है. स्थित है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 1 [illegible] राजस्व रिकार्ड के अनुसार निहित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:12:31 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नं. 774 रकबा 0.79 है. व[illegible] ग्राम खेडियामान तह. इन्द्रगढ

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

जिला बून्दी में स्थित है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 1/2, 1/2 राजस्व रिकार्ड के अनुसार निहित है।

वाद विषयक आराजी राजस्व रिकार्ड मे सहखातेदारी में दर्ज होने के कारण वादी को बैंक व वित्तीय संस्थाओ से कृषि ऋण प्राप्त करने व लगान जमा करवाने में अत्यधिक समस्या वादी को हो रही है। इसलिए वादी अनेक बार मौखिक रूप से वाद विषयक आराजी का बटवारा कराने का निवेदन प्रतिवादी सं. 1 से कर चुका है। अन्तिम बार फरवरी 2017 के अन्तिम सप्ताह में वाद विषयक आराजी का विधिवत बटवारा कराने का निवेदन प्रतिवादी सं. 1 से मौखिक रूप से किया गया लेकिन प्रतिवादी सं. 1 ने वादी से मना कर दिया गया। यही वाद कारण है जो निरन्तर रूप से पैदा हो रहा है।

प्रार्थना है कि वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री पारित की जावे–

वाद विषयक आराजी में निहित वादी का हिस्सा 1/2 का विधिवत रूप से बटवारा किया जाकर तदानुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। बटवारा होने पर प्रतिवादी सं. 1 वादी के कब्जे काश्त में दखल नही करे। इस बाबत प्रतिवादी सं. 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये समन तलब किया गया। बाद तामील नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी ने अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया एवं दस्तावेजों साक्ष्य में नकल जमाबंदी सवंत् 2070–2073 खाता सं. 47 प्रदर्श सं. 1, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2072 खसरा नं. 774 प्रदर्श सं. 2, नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 खाता सं. 41 प्रदर्श सं. 3 नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 4, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2072 प्रदर्श 5 नक्शा ट्रेस प्रदर्श सं. 6 पेश किए।

पत्रावली केम्प कोर्ट उतराना में पेश हुई। स्वंय वादी उपस्थित हुआ। वादी द्वारा स्वयं वाद पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया तथा एक पक्षीय बहस की गयी व कथन किया कि वाद वर्णित आराजी वादी व प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त खातेदारी में है। उक्त आराजी में मेरा हिस्सा 1/2 है। वाद विषयक आराजी का सहखातेदार होने के कारण मेरे को वाद विषयक आराजी का बंटवारा कराने का अधिकार है। अतः आराजी में निहित [illegible] हिस्सा 1/2 का विधिवत रूप से बंटवारा किया जाकर तदनुसार नक्शा [illegible] में [illegible]मीम की जावे। बंटवारा के बाद प्रतिवादी सं. को इस कदर स्थायी निषेधाज्ञा से [illegible] किया जावे कि वह वादी के हिस्से में किसी प्रकार का दखल नहीं करे।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:12:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हमारे द्वारा वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी व बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत जमाबंदी नकल खाता सं. 47 प्रदर्श सं. 1 में प्रभुलाल बाबूलाल पि. बरधा कौम गुर्जर सा. खेड़ियादुर्जन खातेदार दर्ज है।

नकल जमाबंदी खेडिया दुर्जन खाता सं. 41 में प्रभुलाल बाबूलाल पि. बरधा कौम गुर्जर खातेदार दर्ज है जो कि प्रदर्श सं. 3 है। वाद विषयक आराजी पुश्तैनी है, अतः बरधा के पुत्र बाबूलाल व प्रभुलाल का आधा–आधा हिस्सा बनता है। अतः सहखातेदारो के खाता विभाजन का अधिकार है।उक्त विवेचनोपरांत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

वादपत्र स्वीकार किया जाता है व प्राथमिक डिकी किया जाता है। तहसीलदार इन्द्रगढ को आदेश दिये जाते है कि वह वाद विषयक आराजी खाता सं. 41 वाके ग्राम खेडियादुर्जन खसरा नं. 131 रकबा 0.03 हैक्ट., खसरा नं. 138 रकबा 0.02 हैक्ट., खसरा नं. 139 रकबा 0.09 है., खसरा नं. 143 रकबा 1.02 है., खसरा नं. 387 रकबा 1.20 है., खसरा नं. 550 रकबा 1.16 है., खसरा नं. 612 रकबा 0.80 है., खसरा नं. 613 रकबा 0.81 है., खसरा नं. 640 रकबा 2.05 है., कुल किता 9 कुल रकबा 7.18 है. स्थित है। तथा खसरा सं. 774 रकबा 0.79 है. वाके ग्राम खेडियामान में वादी व प्रतिवादी का 1/2–1/2 हिस्सा को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 व राजस्व मण्डल राजस्थान विभाजन नियम 18 से 21 को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान की उपस्थिति में तहसीलदार इन्द्रगढ स्वयं मौके पर जाकर रास्ता का भी प्रावधान करते हुए विधिवत बंटवारा रिपोर्ट नियत दिनांक 13.7.18 से पूर्व न्यायालय में पेश करे। बंटवारा कमिश्नर फीस 200 रूपये निर्धारित की जाती है जो वक्त बंटवारा वादी द्वारा अदा की जाएगी तथा बैंक रहन खाता बदस्तूर रहेगा।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 8.06.18 को केम्प कोर्ट उतराना में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:12:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रा० डिग़री ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाखेरी

व इजलास सुश्री गरिमा लाटा R.A.S

1 बाबूलाल आत्मज बिरधीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम खेड़िया दुर्जन तहसील इन्द्रगढ़ वादी

बनाम 1 प्रभुलाल आत्मज बिरधा जाति गुर्जर निवासी खेड़िया दुर्जन तहसील इन्द्रगढ़ जिला-बून्दी वगैरह P.T.O

दावा बाबत 53, 188 R.T.A

मुकदमा नम्बर 18/राव/17 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री सुरेश कुमार वर्मा एड. मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेश दिये जाते है कि वाद विषयक आराजी खाता सं. 41 जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 वाके ग्राम खेड़िया दुर्जन तहसील इन्द्रगढ़ मे वाकै कुल खसरा किता-9 योग रकबा 7.18 हैक्टर एवं खाता सं. 47 में वाकै ख.नं. 774 रकबा 0.79 हैक्टर वाके ग्राम खेड़िया ... मान मे वादी व प्रतिवादी का 1/2-1/2 हिस्सा को राज. काश्तकारी अधि. की धारा 53 व राजस्व मण्डल राजस्थान विभाजन नियम 18 से 21 को ध्यान मे रखते हुए पक्षकारान की उपस्थिति में तहसीलदार P.T.O

निज मुबलिग बाबत खर्चा इन

मुकद्दमें के मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 8-6-2018 माह सन को जारी की गई।

दस्तखत

मुहर ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफर्रिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:12:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

इन्द्रगढ़ स्वयं मौके पर जाकर रास्ता का प्रथधान करते हुए विधिवत बटवारा कर बटवारा रिपोर्ट नियत दिनांक 13-7-18 से पूर्व न्यायालय में पेश करे बटवारा कमिश्नर फीस 200/- रुपये निर्धारित की जाती है जो वक्त बटवारा वादी द्वारा अदा की जावेगी। बैंक रहन खाता बादस्तूर रहेगा/

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

2. बैंक आफ बड़ौदा जर्ये शाखा प्रबन्धक शाखा झालीजी का बराना तहसील के. पाटन

3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी ।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

प्रतिवादीगण ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:12:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

100/- रुपये का नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प संलग्न है

आज्ञप्ति – ड़िगरी ब मुकदमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नासिरी (?)

व इजलास श्री प्रमोद कुमार (R.A.S.)

1 बाबूलाल आत्मज गिरधारीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम खेड़ियादुर्जन तहसील इन्दरगढ़ बनाम (1) प्रभुलाल आत्मज गिरधारीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम खेड़ियादुर्जन तहसील इन्दरगढ़

वादी प्रतिवादीगण PT-D-2

दावा बाबत 53, 188 R.T.A

मुकदमा नम्बर 18/दावा/17 सन ....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री सुरेश कुमार वर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि वादी का वाद-पत्र आज्ञप्ति डिक्री किया जाता है। मुताबिक बटवारा कामिश्नर तहसीलदार इन्दरगढ़ के ग्राम खेड़ियामान के खाता सं. नया 49 के ख.न. 774 रकबा 0.79 हैक्टर में से वादी बाबूलाल के हिस्से मे ख.न. 774/1 रकबा 0.40 हैक्टर व प्रतिवादी प्रभुलाल के हिस्से में 0.39 हैक्टर कायम रहेगा नक्शा रेख मे दर्शाये मुताबिक रहेगा। एवं ग्राम खेड़ियादुर्जन तहसील इन्दरगढ़ के खाता सं. 40 नया में वर्णित आराजी में से वादी बाबूलाल के ख.न. 131/1 रकबा 0.02 हैक्टर ख.न. 139/1 रकबा 0.44 है. ख.न. 143/1 रकबा 0.51 है. ख.न. 387/1 रकबा 0.60 है. ख.न. 550/1 रकबा 0.58 है ख.न. 613 रकबा 0.81 है ख.न. 640/1 रकबा 1.02 हैक्टर इन कुल ... PT-02

निज 0.58 है ख.न 613 मुबलिग रकबा 0.81 है ख.न 640/1 बाबत रकबा 1.02 हैक्टर खर्चा इन कुल मुकद्दमें के मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28-10-2020 माह .... सन .... को जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
नासिरी (बून्दी)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मु[illegible]रच		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे वह ... के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:12:31 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner

2. बैंक आफ बड़ौदा जरिये शाखा प्रबन्धक कापरेन जी आ वशान्प तहसील के-पाटन

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला-बून्दी.

(signature)

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:12:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(2)

राजस्थान RAJASTHAN

BB 774963

31 AUG 2020

इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज०)

18/दावा/7 के साथ सलंग्न है।

क्रमशः — कुल खसरा किता-7 योग रकबा 3.58 हैक्टर कृषि भूमि [हिस्से में रहेगी। एव प्रार्थी स.1 प्रभुलाल के ख.न. 131/2 रकबा 0.01 हैक्टर ख.न. 138, रकबा 0.02 हैक्टर ख.न. 139/2 रकबा 0.05 हैक्टर ख.न. 143/2 रकबा 0.51 हैक्टर ख.न. 387/2 रकबा 0.60 हैक्टर ख.न 550/2 रकबा 0.58 हैक्टर ख.न. 6/2 रकबा 0.80 हैक्टर ख.न. 640/2 रकबा 1.03 हैक्टर कुल खसरा किता-7 योग रकबा 3.60 हैक्टर कृषि भूमि [हिस्से में रहेगी।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:12:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner